शोध का परिचय

भारत गाँवो का देश है, और सही भी यही है क्योकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवो में वास करती है। भारत वासी अपने विकास के लिए कृषि पर ही निर्भर करते है। सादा जीवन उच्च विचार यही भारतीय ग्रामों की पहचान है। जब भी मन में भारतीय ग्राम का विचार आता है, तो खेतों में दूर-दूर तक लहलहाती हुई फसलें, कड़ी धुप और खुले आसमान के नीचे काम करता किसान और घरों की भागदौड़ संभालती घर की स्त्रियों की छवि आखों के सामने आ जाती है।

आज का ग्रामीण समाज और कल का ग्रामीण समाज दोनों की तुलना की जाए तो बहुत ही अंतर होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, गाँवो का देश है लेकिन क्या किसान जीवित है, गांव जीवित है शायद नहीं। जो गांव हम चाहते है वो नहीं है। लोगों के बोलने का अंदाज वो मीठी बोली, भाईचारा और एक-दूसरे के प्रति प्रेम अब गाँवो में भी कम ही देखने को मिलता है। गाँवो में पहले जैसा सुख और चैन नहीं रहा है। इन्ही सब कारणों से लोगों का लगाव, एक-दूसरे के प्रति प्रेम ख़त्म होता जा रहा है और ये बड़ी दयनीय और विचारणीय स्थिति है। भारतीय संदर्भ में एक और समस्या है बेरोजगारी की। इसी कारणवश अनेक युवक गाँवो को छोड़ कर नगरों में आकर काम की तलाश करते है। उनमें से अधिकतर उचित काम प्राप्त करने के कार्यो में असफल ही रहते है। मानसिक परिपक्वता के अनुरूप समुचित कार्य न मिलने के कारण ये युवक तनावग्रस्त हो जाते है। अगर वे अपने गांवो की ओर चल पड़ते है तो वहाँ पर भी उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। वो निराश हो कर वापस आ जाते है और छोटे-मोटे कार्य करके अपने या अपने परिवार का पेट भरते है। उनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है। इसी कारणवश वो अपने बूढ़े माँ-बाप को गांव में छोड़कर जाते है और फिर वृद्धजनों की समस्याएँ ज्यादा बढ़ने लगती है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप परिवार की रचना और कार्यों में गंभीर परिवर्तन परिलक्षित हुए है। पहले सभी समाज में परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक संस्था थी। जीवन का अधिकांश व्यापार परिवार के माध्यम से संपन्न होता था। इन औद्योगिक समाजों में परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं है। बच्चों के शिक्षण का कार्य शिक्षण संस्थाओं ने लिया है। रसोई का कार्य व्यावसायिक भोजनालयों तथा जलपानगृहों में चला गया है। मनोरंजन के लिए पृथक संगठन स्थापित हो गए हैं। सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के पास चला गया और धर्म के घटते हुए प्रभाव के कारण धार्मिक कृत्यों का स्थान गौण हो गया है। पति और पत्नी का अधिकांश समय घर के बाहर व्यतीत होता है। फिर भी परिवार बना हुआ है और उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते है, जिन्हें परिवार का स्थायी या अवशिष्ट कार्य कहा जाता है। इसके कारण भी वृद्धजनों की समस्याएं ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है।

इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन काल में वृद्धों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्माननीय रही है। उन्हें समाज एवं परिवार में अलग वर्चस्व था। परिवार के समस्त कार्य उनके हाथो हुआ करते थे। परिवार का कोई फैसला, उनकी सलाह सदस्यों को एक धागे में बांधे रखते थे, परन्तु भौतिकवादी

युग में वृद्धों की समस्याओं का बढ़ना एवं समाज में उनकी उपयोगिता कम और समस्याएं बढ़ती नजर आ रही है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है। और इस पड़ाव में जीवन अशक्त होता जाता है। कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, भरण-पोषण के लिए दूसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। यही निर्भरता वृद्धों की समस्याओं की मूल है। शारीरिक एवं आर्थिक दृष्टि से घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश हो जाते है। विश्व में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां वृद्धावस्था में सामाजिक एवं आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते है।

भारत वर्ष में वृद्ध व्यक्तियों को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। सामान्यता, इन व्यक्तियों की आवश्कताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान भारतीय सयुक्त परिवार में होता रहा हैं। परंतु इस देश में संयुक्त परिवार का धीरे-धीरे विघटन हो रहा हैं तथा उसके स्थान पर एकल परिवार का वर्चस्व बढ़ रहा हैं। इसके साथ-साथ व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं सुखवादी मूल्यों के बढ़ने के कारण वृद्धों की अपेक्षा की जाने लगी है। इसके अतिरिक्त कुछ वृद्ध व्यक्ति अनेक समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। जिनमें आर्थिक समस्या, स्वास्था एवं चिकित्सकीय समस्या, पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्या, आवासीय समस्या इत्यादी का उल्लेख किया जा सकता है।

जहां तक वृद्ध की परिभाषा करने का प्रश्न हैं तो शब्द कोश के अनुसार (स्त्रोत देवें) वृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता हैं-वृद्धि से संपन्न, बुद्धि से युक्त, ठीक उसी प्रकार से जैसे शुद्ध का अर्थ होता हैं शुद्धि से संपन्न और बुद्ध का अर्थ होता हैं बुद्धि से संपन्न, यह बुद्धि आयु की कमी भी हो सकती है और विद्या, धर्म अथवा अनुभव की भी। इसलिए जिस व्यक्ति में आयु विद्या धर्म अथवा अनुभव की वृद्धि हो, वही वृद्ध है।

परिप्रेक्ष्य :-

एलिजाबेथ हेरवाल्क :- “ वृद्धावस्था जीवन का अंतिम कालखंड हैं।”

हेन्री और क्युमिन :- “ व्यक्ति जीवन चक्र का अंतिम कालखंड मतलब वृद्धावस्था हैं।’’

वृद्धावस्था उस अवस्था को कहते है जिसमें दैहिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। फिर भी इसकी औसत आयु वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति की शक्ति, स्फूर्ति, काम करने की गति, कम हो जाती है। इस अवस्था में आयु 60 वर्ष की मानी जाती हैं, इस अवस्था में ह्रास की गति तीव्र होती है। तथा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण टूट जाता हैं, उसे “जरावस्था” की संज्ञा दी जाती है।

देश में वृद्ध लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन उनके अनुकूल माहौल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से अधिकतर बुजुर्ग लोग अलग-अलग या उपेक्षित रहने को मजबूर है। पिछले दस वर्षो के दौरान वृद्ध लोगों की आबादी और वृद्धावस्था सहायता प्रणाली में जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक लिहाज से काफी बदलाव आए है। पिछले एक दशक में वृद्ध लोगों की संख्या में 39.3 प्रतिशत इजाफा हुआ है और देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी वर्ष 2001 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर

वर्ष 2011 में 8.3 प्रतिशत हो गई है। बदलते सामाजिक परिदृश्य में वृद्ध लोगों की जीवनचर्या भी काफी बदली है, वे अब पहले से अधिक सक्रिय, उर्जावान तथा स्वस्थ हैं और अब वे परिस्थितियों से समझौता नहीं करके हर स्तर पर स्वतंत्र है। आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी स्तर पर उनके लिए अच्छे अवसर पैदा किए जाएं, ताकि उनकी समाज में स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो सके।

भारतीय समाज के परम्परागत मानक और मूल्य बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करने और उनकी देखभाल करने पर जोर देते थे। लेकिन हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रणाली का एक शनै: शनै: किंतु निरंतर ह्रास देखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप माता-पिताओं की एक बड़ी संख्या में उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है जिससे उन्हें भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बुढ़ापा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन चूका है और वृद्ध लोगों की आर्थिक और स्वास्थ्य कि जरूरतों को पूरा करने और एक सामाजिक परिवेश बनाने की आवश्यकता है, जो वृद्ध लोगों की भावनात्मक जरूरतों के लिए सहायक और संवेदनशील हो।

वास्तविक स्थिति :-

बुजुर्गो की संख्या में लगातार वृद्धि होना आज दुनियां भर में निति निर्धारकों के समक्ष एक बड़ी भारी चुनौती है। बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि की प्रक्रिया विकसित राष्ट्रों में पहले से ही तीव्र गति पकड़ चुकी है तथा 21 वी शताब्दी में अधिकांश विकसित व विकासशील देशों में बुजुर्गो की संख्या में तेजी से बढ़ेगी। विश्व मानचित्र में सर्वाधिक बुजुर्गो जिन देशों में पाएं जाते हैं, वे हैं भारत तथा चीन आजादी के समय भारतवर्ष में 60 वर्ष की आयु से अधिक आयुवाली आबादी लगभग सवा करोड़ थी जो 1951 में बढ़कर दो करोड़ हुई है।

भारत में बुजुर्गो की स्थिति को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक पहलुओं में एक परिवार के सदस्यों का उनके साथ गहरा जुड़ाव है। ऐसे लोग जो अपने बुजुर्गो की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, उनपर सामाजिक दबाव बना रहता है। इसलिए इन मूल्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के बुजुर्गो को मानव संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिएँ तथा समृद्ध स्वस्थ जीवन हेतु सहयोग की आवश्यकता है। सरकार द्वारा उनके स्वास्थ्य एवं सार्थक जीवन की क्षमता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब बच्चे अन्य शहरों में रहने लगते हैं तब माता-पिता अपने परिवार के पुराने स्थान पर रहना पसंद करते है और स्वयं को अकेला पाते है। बढ़ती उम्र की परेशानियों के साथ स्वास्थ की समस्याएँ जुड़ जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले अपराध और अपर्याप्त आय से उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। बच्चे अपने नए जीवन में व्यस्त होने के कारण उनके पास नियमित रूप से आने में सक्षम नहीं होते तथा माता-पिता को अकेले ही गुजारा करना होता है, जो कई बार सीमित आय के कारण कठिन होता है।

नवीनतम जनगणना के मुताबिक (2011) के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो की संख्या 10.38 करोड़ है और ये भारत की कुल आबादी के 8.58 प्रतिशत है। वर्ष 1951 में इनकी संख्या 1.98 करोड़ हो गई थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 7.6 करोड़ हो गई थी स्पष्ट है कि वृद्ध लोगो की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी जारी है। यह एक तरह से सकारात्मक लक्षण है, क्योंकि यह जीवन प्रत्याक्षा में वृद्धि का संकेत है।

वृद्धावस्था या बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक संभावना होती है। उनकी समस्याएं भी अलग होती है वृद्धावस्था एक धीरे-धीरे आनेवाली अवस्था है, जो की स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है। वृद्धावस्था स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है, वृद्ध का शाब्दिक अर्थ बढ़ा हुआ, पका हुआ या परिपक्व होता है।

सर्वेक्षण में सभी आयुवर्गो के 32,100 लोगों से बातचीत की गई। इंटरनेट, फोन और व्यक्तिगत माध्यम के जरिए जुलाई और अगस्त, 2013 में यह सर्वेक्षण किया गया। कुल 32,100 लोगों में से 52 प्रतिशत अर्थात 16748 महिलाएं थी जबकि शेष 47.8 प्रतिशत पुरुष थे। सर्वेक्षण में शामिल 49.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के और 50.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के थे। 46.2 प्रतिशत निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे जबकि 44 प्रतिशत विद्यार्थी थे। 4.1 प्रतिशत का अपना काम था और 2.9 प्रतिशत कारोबारी गतिविधियों से जुड़े थे जबकि 2.7 प्रतिशत सरकारी नौकरी कर रहे थे। इस तरह सर्वेक्षण में विभिन्न वर्ग और विविध रोजगार एवं सामाजिक परिस्थिति के लिहाज से विविध प्रकार के लोगों से संपर्क किया गया।

सर्वेक्षण से बड़ी दिलचस्प मगर आंखे खोलने वाली जानकारी सामने आई। 2,720 यानी 8.5 प्रतिशत लोग रोजाना अपने बड़े-बूढों से बात नहीं करते। 23.2 प्रतिशत सिर्फ 1 वृद्धजनों से बात करते हैं जबकि 32.2 प्रतिशत ने कहा कि वे रोज 3 वृद्धजनों से बात करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किसतरह की बात कर ते हैं तो 82.8 प्रतिशत ने बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से वृद्धजनों से बात करते हैं। सिर्फ 48 प्रतिशत ने कबूल किया कि वे वृद्धजनों से ईमेल से संपर्क में रहते हैं जबकि 32,100 में से सिर्फ 12 लोगों ने बताया कि वे अपने परि वार में वृद्धजनों को पत्र लिखते हैं।

वृद्धावस्था एक विवेचन

यह शाश्वत सत्य है कि वृद्धावस्था मानव जीवन की संध्या हैं जिनकी स्थिति देश भर में डूबते हुए सूर्य के समान है और यह जीवन का अनिवार्य क्रम है। प्रश्न यह उठता हैं कि वृद्ध कौन है और वृद्ध से क्या आशय है हालांकि आज तक इसके लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गयी है लेकिन आम तौर पर 60 वर्ष और उसके बाद के व्यक्ति को बुजुर्ग या वृद्ध माना जाता है। बीसवी सदी के उतरार्ध में मानव के प्रति विशेष जागरूकता तथा विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों एवं विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा अधिक प्रयास किए

गए है। वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करते है कि एक शताब्दी में मानव की आयु में लगभग 30 साल की वृद्धि हुई है। मानव वास्तव में लम्बी जिंदगी जीना चाहते हैं।

वृद्धावस्था के लक्षण

वृद्धावस्था में प्रमुख परिवर्तन शारीरिक स्थिति में आता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति की मांसपेशियां, रक्त प्रवाह, श्वास प्रक्रिया और हड्डियों में दुर्बलता आने लगती है जिससे कार्यक्षमता घटने लगती है, यह क्षीणताएं-आँख, कान, नीद, स्वाद, उठने-बठने आदि के रूप में दृष्टव्य होती है। मांसपेशियों में दुर्बलता आने के कारण कार्य करने में थकावट शीघ्र हो जाती है। वृद्धावस्था में मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात, रक्तचाप का बढ़ना आदि रोग गंभीर रूप धारण कर लेते है। शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक व्याधियों के साथ-साथ वृद्धों में मानसिक परिवर्तन तीव्र हो जाते है, जिनका सीधा प्रभाव उनके पारिवारिक परिवेश पर पड़ता है।

वृद्धावस्था की उपादेयता

जीवन की आधी सदी सामर्थ्य विहीन नहीं हो सकती, उसके जीवन की चारों अवस्थाएं समाज का ताना-बाना बुनती है।

1 – शैशवस्था

2 – बाल्यावस्था

3 – तारुण्यवस्था

4 – प्रौढ़ावस्था

5 – वृद्धावस्था

इन सभी में मानव सामर्थ्यवान रहता है। मानव प्रत्येक अवस्था में नए रूप में अभिव्यक्त होता है। शैशव में आकर्षण होता ही है यही उसका सामर्थ्य है। तरुणाई ज्ञान को कर्मठता के माध्यम से प्रकट होता है यही प्रौढ़ावस्था का सामर्थ्य रखती हैं।

वृद्धता का लक्षण मात्र आयु का ही अधिक हो जाना नहीं, बल्कि एक पूर्ण वृद्ध के परिवेश में आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और अनुभव बुद्ध, इन तीनों का संयोग होता है।

अनादि काल से अपनी विजय यात्रा पर निकला हुआ मानव ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति और भाषा के जिन नए ध्रुवों पर अपना झंडा लहराता आया है, समाज व्यवस्था राजनीति और अर्थ व्यवस्था से संबंधित जिन वैज्ञानिक नियमों का आविष्कार करता आया है, उन सबको आगामी पीढ़ी

तक सम्प्रेषण का कार्य मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में समाज के वृद्ध लोग ही करते रहे है। लाखों, करोड़ों वर्षो से संचित ज्ञान और अनुभव को भी उसी सहजता से वह अपने माता-पिता, बड़े, बुजुर्गी एवं गुरुजनों से प्राप्त कर लेता है।

वृद्धों की जनसंख्या

चिकित्सा विकास के कारण मृत्युदर की कमी और औसत जीवन के लम्बा होने के परिणामस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्व में लगभग 600 करोड़ की आबादी में 58 करोड़ लोगों की उम्र 65 वर्ष या इससे अधिक है। इनकी संख्या में वृद्धि लगातार होती जा रही है। एक अनुसार के 20 वर्ष बाद बुजुर्गो की संख्या 100 करोड़ हो जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात विश्व जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप ठोस रूप में बढ़ेगा। एक अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व में 1950 के बाद व्यक्ति की औसत आयु में 20 वर्ष की वृद्धि हुई है 1970 में 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 30 करोड़ 40 लाख से अधिक थी। जो उच्च प्रतिव्यक्ति आय के देशों में वर्ष 2000 तक 13 और इससे ऊपर होगा। यह प्रतिशत सामान्य आय वर्ग वाले देशों में 10 होगा जो वृद्ध व्यक्तियों के उच्च अनुपात वाले राष्ट्र के लिए गंभीर समस्या होगी। एक सर्वेक्षण के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र हैं यहां वृद्धों की संख्या कुल जनसंख्या का 5 वाँ भाग हैं, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, लेटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में बुजुर्गी की संख्या क्रमशः 23, 12 और 10 प्रतिशत होने का अनुमान हैं। वर्ष 2020 में जापान 31 प्रतिशत बुजुर्गो के साथ दुनियां का सबसे बूढ़ा राष्ट्र होगा। इसके बाद इटली, ग्रीस और स्विट्जरलैंड का स्थान होगा। वर्तमान में 20 विकासशील राष्ट्र ऐसे हैं जहां औसत आयु 72 वर्ष से अधिक हैं। कोस्टारिका, कोरिया और मलेशिया इसी श्रेणी के राष्ट्र है।

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में औसत आयु 32 वर्ष थी, वर्तमान में यह 64 वर्ष हैं। इन 56 वर्षो में वृद्धों की संख्या में तीन गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2020 तक भारत में वृद्धों की जनसंख्या 14.10 करोड़ हो जाएगी।

हेल्पएज इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में इस समय बुजुर्गो की संख्या 7 करोड़ 70 लाख के करीब है। देश में 100 साल से ऊपर की उम्र की आबादी भी दो लाख के करीब हैं।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार वृद्धों की जनसंख्या 4.45 करोड़ थी, वर्ष 1981 की जनगणना में वृद्धों की जनसंख्या बढ़कर 5.48 करोड़ हो गयी अर्थात वर्ष 1981 और 1991 के मध्य 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी।

वर्धा जिला और सेलू तहसील का परिचय

वर्धा जिला यह भारत के महाराष्ट्र राज्य का जिला हैं इस जिला का क्षेत्रफल 2,429 वर्ग मील हैं। हिगनघाट तथा पुलगांव में सूती वस्त्र की मिल है। यह मराठी भाषाभाषी जिला हैं। वर्धा नगर नागपुर से 50 मील दूर है दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह नगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम के कारण प्रसिद्ध है। यह वर्धा जिले का मुख्यालय है। यहाँ प्रमुख संस्थाएं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, पवनार आश्रम, कस्तूरबा स्वास्थ समिती, गीताई मंदिर हैं। वर्धा जिले में आठ तहसील आती हैं उसमें सेलू तहसील को मैंने अपने लघु शोध विषय के लिए चुना हैं। सेलू तहसील का क्षेत्रफल 569.64 हेक्टर हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार सेलू की जनसंख्या 1,29,647 है। सेलू तहसील के अंतर्गत 155 गांव आते हैं उसमें से चयनित गांवो का लघुशोध किया हैं।

वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ :

1.वृद्धजन राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी):

भारत सरकार ने 1999 में बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनायी गई जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय,जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतों आदि में सहायता प्रदान करना।
2. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और इन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना।
3. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई

2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी):

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रमुख मंत्रालय के बतौर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी), 1999 में वृद्धों के कल्याण के लिए सभी मुद्दे उठाये गये हैं और 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति की पहचान वरिष्ठ नागरिक के बतौर की गयी है। एनपीओपी का अनुसरण करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में, 1999 में ही वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) बनायी गयी जो कि नीतियों के कार्यान्वयन की देख-रेख करेगी। एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए एक अन्य समन्वय उपायों के अंतर्गत सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई है जिसमें 22 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।

3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007:

वरिष्ठ नागरिक और भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 दिसम्बर 2007 से लागू है जो अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिक की जरूरत के मुताबिक उनका भरण-पोषण और कल्याण सुनिश्चित करता है। अधिनियम में अभिभावकों/वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों/संबंधियों द्वारा भरण-पोषण को अनिवार्य और ट्रिब्यूनल द्वारा कानूनी बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की उनके संबंधियों द्वारा अनदेखी करने पर उनकी संपत्ति का हस्तांतरण करा लिये जाने, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम बनाने, वरिष्ठ नागरिकों को उचित चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। करा लिये जाने, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम बनाने, वरिष्ठ नागरिकों को उचित चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की आवश्कताओं पर आधारित देखभाल एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम 2007 को दिसम्बर 2007 में लागू किया गया था। अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था हैं -

* बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता /वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने को अनिवार्य बनाया गया हैं।

* रिश्तेदारों द्वारा लापरवाही के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करना।

* वरिष्ठ नागरिकों को बाध्य करने के लिए दण्ड का प्रावधान।

* निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड ऐज होम की स्थापना।

* वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं एवं सुरक्षा।

प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जाना हैं। 31.3.2011 तक इस अधिनियम को 22 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा द्वारा घोषित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश का लागू किया जाना शेष हैं।

4.वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना (आईपीओपी):

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधाऱ, उनकी उत्पादकता बढ़ाने तथा बढ़ती उम्र में सक्रियता को बनाए रखने के मकसद से वृद्धजनों के लिए 1992 में एक एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उन्हें आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसमें सरकारी/गैर सरकारी संगठन/ पंचायती राज संस्थान/ स्थानीय निकाय और बड़े पैमाने पर अन्य समुदाय अपनी भूमिका अदा कर रहे है। योजना के तहत इस परियोजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों की स्थापना

करने के लिए उनकी लागत का 90% तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना को 01-04-2008 को संशोधित किया गया था। मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए मुहैया कराई जाने वाली राशि में वृद्धि के अलावा, कई अभिनव योजनाओं को जोड़ा गया है।

5. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) :

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेश सं.15-4(6)/-07-08-एजी-।। दिनांक 26.03.2008 के तहत संस्थान के सामान्य परिषद का दो वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। संस्थान के ज्ञापन के अनुसार सामान्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करने का प्रस्ताव है।

हालांकि, सामान्य परिषद व्यापक और अनिवार्य नीतिगत पैरामीटरों का निर्धारण करती है, संस्थान की कार्यकारी परिषद संस्थान के कार्यकलापों और कार्यक्रमों की निगरानी और मार्गनिर्देश देती है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) द्वारा की जाती है। इस स्वायत्व निकायद्वारा 2000 में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर राष्ट्रीय पहल (एनआईएसडी) नामक एक अनूठी परियोजना शुरू किया जिसका मूल उद्देश्य कुशल और समर्पित वृद्धावस्था विज्ञान के एनिमेटरों और पेशवरों की टीम तैयार करना था ताकि वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती आबादी के लिए सेवाएं नियोजित और उपलब्ध करवाई जा सके।

6. अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह और वयोश्रेष्ठ सन्मानों का अलंकरण :

- 1 अक्टूबर, 2016 को विश्व भर में ‘अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ (International Day of Older Persons) मनाया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ मनाने की घोषणा की गई थी।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ‘वयोश्रेष्ठ सम्मान-2016’ प्रदान किया गया।
- वयोश्रेष्ठ सम्मान’ की स्थापना सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 में की थी।
- इन्हें वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में रखा गया।
- ये सम्मान वरिष्ठ नागरिकों विशेष तौर पर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के सम्मान स्वरूप सम्मानित किया जाता है।
- हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, की संख्या लगभग 10.50 करोड़ है।
- इनमें लगभग 5.1 करोड़ पुरुष एवं लगभग 5.7 करोड़ महिलाएं हैं।
- वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों, पुरुष एवं महिला की संख्या क्रमशः 8.4 एवं 8.8 करोड़ अर्थात हमारी आबादी की कुल 10 प्रतिशत होगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 दिसम्बर 1990 में सदस्य राष्ट्रों की सहमति से 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया। इस महत्वपूर्ण दिवस में विश्व भर में वृद्धजनों से संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने पर विचार-विमर्श होता है। तथापि उनके ज्ञान एवं अनुभव का अधिक से अधिक लाभ समाज हित में लेने के लिए योजनाएं बनायी जाती है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, दो राष्ट्रों के बीच तथा विश्व युद्धों से सबसे अधिक संकट बच्चों तथा वृद्धजनों के लिए सामाजिक असुरक्षा के संकट के रूप में आता है। वर्तमान समय में लाखों बच्चे, महिलाएं तथा वृद्धजन युद्धों की विभीषिका से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं। युद्धों की तैयारी तथा आतंकवाद से निपटने में काफी धनराशि व्यय हो रही है जिससे गरीब तथा विकासशील देशों की आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमराती जा रही है।

वृद्धजनों के कल्याण के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :

1.ग्रामीण विकास मंत्रालय :

* राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं (2002-2003)

* राज्य पेंशन योजना

*अन्नपूर्णा योजना जो कि राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले शेष उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह प्रति लाभार्थी नि:शुल्क 10 अनाज उपलब्ध कराया जाता हैं।

2.स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करने के क्रम में 11वीं योजना के दौरान बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय नीति की सिफारिश पर माता पिता की देखभाल एवं कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत राज्य के दायित्व को लेकर शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए इस योजना में मुख्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में आठ क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों (क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्रों) की पहचान की गई थी जिनमें वृद्धावस्था विभाग के लिए 30 बिस्तरों की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जिला अस्पतालों, केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य क्रेंद्रों और 21 राज्यों के 100 चिन्हित जिलों के उपकेंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही थी। शुरुआत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 21 राज्यों से 100 जिलों में चयन किया गया था। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में इसके तहत और 225 जिलों को कवर करने और विकसित करने का प्रस्ताव था। इसमें देश के चयनित मेडिकल कॉलेजों में 12 अतिरिक्त क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना शामिल है। क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्र जिला अस्पतालों को तकनीकी सहायता

प्रदान करेंगे तथा वे केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा उपकेन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी के साथ उनके बीच समन्वय का काम करेंगे।

केंद्र सरकार स्वास्थ योजना में केंद्र सरकार के कार्यालय के पेंशनभोगियों को लंबी बीमारी के लिए एक बार में तीन महीनों तक दवाइयाँ प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान किया गया हैं।

स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (1) सरकारी अस्पतालों में वृद्ध लोगों के लिए अलग पंक्ति तथा (2) कई सरकारी अस्पतालों में जराचिकित्सा क्लीनिक का प्रावधान करता हैं।

मंत्रालय ने 11 वी पंचवार्षिक योजना में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ देखरेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई पहल शुरू की हैं। इस योजना को 11वी पंचवर्षीय योजना (अर्थात 2010-11 तथा 2011-12) की बची हुई अवधि के लिए 288 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत सहित वर्ष 2010-11 से लागू किया गया हैं।

3. 11 वी पंचवार्षिक योजना के दौरान :

देश के विभिन्न प्रान्तों में 8 चयनित प्रांतीय मेडिकल संस्थानों (प्रांतीय जेरियाट्रिक केन्द्रों) में 30 बिस्तर वाले जेरियाट्रिक विभाग की स्थापना और 21 राज्यों के 100 चयनित जिलों में जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, और उपकेंद्र स्तर पर समर्पित स्वास्थ सेवा सुविधाएं उपलब्ध करना था। बचे हुए जिलों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 जिले प्रति वर्ष की दर से कार्यक्रम में चरणबद्ध रूप से लेने और देश में (पहले 3 वर्षों में) चुनिदा मेडिकल कॉलेजो में 12 अतिरिक्त प्रांतीय जेरियाट्रिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव हैं। प्रांतीय संस्थान जिला अस्पतालों में जेरियाट्रिक इकाइयों कोण तकनीक समर्थन देंगे जबकि जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, और उपकेंद्रों पर गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करेंगे।

4. बीमा नियामक विकास प्राधिकरण:

25.5.2009 दिनांक के पत्र द्वारा सभी साधारण स्वास्थ्य बीमा कंपनियों कों वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर निर्देश जारी किया गया। जिसमें 65 वर्ष तक की उम्र तक स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति देना। ली गई प्रीमियम में पारदर्शिता वरिष्ठ नागरिकों की जरुरत के लिए जारी सभी स्वास्थ बीमा उत्पादों पर किसी भी प्रस्ताव पर इन्कार का कारण दर्ज करना। इसी तरह, बीमा कंपनियां बिना विशिष्ट कारणों के पुनर्वीकरण से इन्कार नहीं कर सकती हैं।

5. वित्त मंत्रालय :

* 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 2.50 लाख तक आयकर में छूट।

* 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5.0 लाख तक प्रतिवर्ष आयकर में छूट।

* धारा 80 (ध) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा दोनों जो वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर उसे 20,000 रु. की छूट दी जाती हैं।

* कोई व्यक्ति किसी आश्रित वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सा उपचार हेतु खर्च की गई राशि में छूट अथवा रु. 60,000 जो भी कम हो पात्र होगा।

6. **गृहमंत्रालय :**

सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं तक इनकी पहुंच बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट परिचय पहचान पत्र प्रदान किए जाने है।

7. **रेल मंत्रालय :**

रेल मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को निम्न सुविधाएं प्रदान करता हैः यात्री आरक्षण व्यवस्था (पीआरएस) में अगर हर शिफ्ट में 120 टिकट की मांग है तो ऐसी जगहों पर 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से टिकट खिड़की, 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों व 45 साल व इससे अधिक की महिला यात्रियों के लिए नीचे की सीट देना, पुरुष (60 साल) व महिला (58 साल) यात्रियों के लिए क्रमशः 40% व 50% रेल किरायों में छूट। सभी जंक्शन, जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वृद्ध और जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए व्हील चेयर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर व्हील चेयर के लिए रैम्प भी उपलब्ध है। ट्रेनों में शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए खास तरह से बनाए गए कोच शामिल किए गए हैं जिसमें व्हील चेयर के लिए जगह बनी है, हैंड रेल लगा है और खास तरह से बनाए गए शौचालय बने हुए हैं।

8. **नागरिक उड्डयन मंत्रालय :**

यह मंत्रालय राष्ट्रीय वाहक, एयर इंडिया में यात्रा के प्रारंभ की तारीख को 65 वर्ष और अधिक आयु वाले पुरुष यात्री के लिए और 63 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्री के लिए आयु और राष्ट्रीयता का प्रमाण (फोटो आईडी) प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत तक वायु भाड़ा रियायत का प्रावधान करता हैं।

9. **पेंशन विभाग :**

60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के मकसद से सीमित अवधि के लिए 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त 2015 के लिए केंद्रीय बजट 2014-2015 में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। यह पेंशन योजना करीब एक दशक पहले शुरू की गई थी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) का मकसद 500 से लेकर 5000 रुपये तक प्रतिमाह देश के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना से सीमित संसाधनों के साथ जीवन यापन कर रहे

समाज के कमजोर वर्ग को लाभ होगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के पुनरुद्धार के तहत वरिष्ठ नागरिकों को वार्षिक या मासिक आधार पर तयशुदा पेंशन मिल जाएगी जिससे इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगी। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का कोष बनाने की संभावना है। इस प्रकार यह देश के विकास के लिए संसाधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। देश में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को इस योजना को संचालित करने के लिए एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है। इस विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति, पेंशन की राशि, अपेक्षित दस्तावेज, यदि कोई, आदि के संबंध में सूचना पाने में मदद करने के लिए एक पेंशन पार्टल का गठन किया हैं। इस पार्टल में शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इस समय चलायी जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 कर दी जाएगी। जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकारें चाहें तो इससे अधिक राशि अपनी तरफ से दे सकती हैं।

10. दूरसंचार विभाग:

दूरसंचार विभाग ने नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया हैं। इस विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पृथक प्राथमिकता की श्रेणी बनाई हैं जिसमें वे पंजीकरण के आवेदन कर सकते हैं। टेलीफोन के साथ किसी भी शिकायत प्राथमिक आधार पर सुलझाई जाती हैं।

11. कानून मंत्रालय:

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में 27.0.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत परामर्श जारी किया है जो प्राथमिक तौर पर ऐसे अपराधों जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध भी शामिल है कि रोकथाम, खोजबीन, पंजीकरण, जांच, और अभियोजन के लिए जिम्मेदार है। गृह मामलों के मंत्रालय ने अपने परामर्श में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो वृद्ध लोगों के खिलाफ हर तरह की उपेक्षा, गलत व्यवहार और हिंसा से सुरक्षा के तरीके सुनिश्चित करे। इस तरह के तरीकों में वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करना, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाना, वृद्ध लोगों को सुरक्षा देना, बीट अधिकारी का वृद्ध लोगों के घर जाकर निरंतर हालचाल लेना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सहायता नंबर जारी करना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करना, उनके घरों में काम करने वाले नौकरों और ड्राइवरों की जांच करना आदि शामिल है। अभिभावक व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अध्याय 5 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून में माता-पिता/दादा-दादी को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता

दिलवाने की व्यवस्था है। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं हैं।

कानून के बारे में पूरी जानकारी न होने और विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्ध जन इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
केन्द्र सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय ने भी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है।

बुजुर्गो के लिए समन्वित कार्यक्रम :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस परिवार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को 31 मार्च, 2007 तक परियोजना लागत की 90%वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इस धनराशि का उपयोग वृद्धाश्रमों, देखभाल केंद्र, मोबाईल मेडिकेयर इकाइयों की स्थापना करने तथा उनका रख रखाव करने तथा बुजुर्गो को गैर संस्थागत सेवाएँ प्रदान करने में किया जाता हैं।

बुजुर्गो के लिए समन्वित कार्यक्रम की योजना 1992 से लागू की गई हैं। इस योजना के तहत परियोजना लागत की 90% वित्तीय सहायता गैर सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रमों, देखरेख केंद्र तथा मोबाईल मेडिकेयर इकाइयों को चलाने तथा उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाती हैं। इस योजना में 1.04.2008 से संशोधन किया गया हैं मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की राशि में बढ़ोतरी के अलावा सरकारी/ पंचायती राज संस्थानों/ स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता पाने हेतु योग्य बनाया गया हैं। इस योजना के तहत कई नई परियोजनाओं को भी सहायता के लिए योग्य होने के रूप में शामिल किया गया हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

- आराम एवं सतत देखभाल गृहों का रखरखाव ;
- अलजाइमर रोग/डीमेंसिया रोगियों के के लिए देखभाल केंद्र ;
- बुजुर्गो के लिए भौतिक चिकित्सा क्लिनिक ;
- बुजुर्गो के लिए हेल्प लाइन तथा कॉलेजों में बच्चों के लिए कार्यक्रम सुग्राही बनाना;
- क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र;
- बुजुर्गो का देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण ;
- बुजुर्गो तथा देखभाल करने वालों के लिए जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम
- वरिष्ठ नागरिक संगठनों की स्थापना आदि ;

सैध्दांतिक पृष्ठभूमि

वृद्धावस्था जीवन काल के समापन की अवधि है। वृद्धावस्था को परिभाषित करने के लिए विद्वानों द्वारा आयु, सक्रियता, शारीरिक अवस्था आदि अनेक प्रतिमानों को आधार बनाया गया हैं। ग्रेट ब्रिटेन के फ्रेंडली सोसायटी एक्ट-1875 ने वृद्धजनों को परिभाषित करते हुए 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध माना हैं | वही भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धजन नीति- (1999) ने, “उन व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक या वृद्धजन माना हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हैं।’’

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धजन के लिए कोई मानक तय नहीं किया हैं परंतु यू. एन. ओ. के ही अंग विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने “60 वर्ष से अधिक आयु को वृद्ध जनसंख्या में परित किया परिगणित है।”

किसी भी जीव या पदार्थ में समय के साथ इकट्ठे होने वाले परिवर्तनों को वृद्धावस्था (ब्रिटिश या आस्ट्रेलियन) कहते हैं।

मनुष्यों में उम्र का बढ़ना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया को दर्शाता है। समय के साथ वृद्धावस्था के कुछ आयाम बढ़ते और फैलते हैं, जबकि अन्यो में गिरावट आती हैं अनुसंधान से पता चलता हैं कि जीवन के अंतिम दौर में भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की संभावनाएँ मौजूद होती हैं। वृद्ध होने के साथ उनमें बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलते है। उनका चिडचिडापन बढ़ जाता हैं और उनमें अगर किसे ने कुछ बोल दिया तो उनमें सहनशीलता की भावना नहीं रहती अगर हम उनसे चिल्ला कर बात करते है तो उनके मन में बहुत ही निराशापन आ जाता हैं।

आने वालो दशकों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो की तादाद बढ़ेगी जो मध्य एवं ऊपरी आय वर्ग में रहेंगे।